राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबन्ध संस्थान (राईसेम)

10–बी, झालाना संस्थागत क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर

फोन नं. 2709827 / 2710072

क्रमांक फा.8पी( )राइसेम / स्टोर / 2019–20 / दिनांकः

:: बोली आमंत्रण सूचना ::

कार्यालय उपयोग हेतु आवश्यकतानुसार वाहन किराये पर उपलब्ध कराये जाने हेतु बोली

अनुमानित लागत 800000 रू.

संस्थान में उपयोग हेतु आवश्यकतानुसार वाहन किराये पर लिये जाने की आपूर्ति के लिए खुली बोली आमन्त्रित की जाती है। बोली विहित बिड प्रारूप में प्रस्तुत की जावेगी। बिड सूचना एवं प्रपत्र राज्य लोक उपापन पोर्टल sppp.rajasthan.gov.in एवं www.ricem.org की बेवसाइट पर देखी जा सकती है। बिड प्रपत्र / टेण्डर फार्म कार्यालय समय में दिनांक 23.06.2025 को प्रातः 11:00 तक प्राप्त किये जा सकते हैं। इच्छुक बिडदाता कार्यालय उपयोग हेतु वाहन उपलब्ध कराये जाने की आपूर्ति हेतु बिड बन्द लिफाफे में राइसेम कार्यालय में दिनांक 23.06.2025 को अपराह्न 1:00 बजे तक प्रस्तुत कर सकते हैं। प्राप्त बिड दिनांक 23.06.2025 को अपराह्न 3:00 बजे उपस्थित बिडदाताओं अथवा उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जाएगी।

निदेशक, राइसेम

राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबन्ध संस्थान (राईसेम)

10–बी, झालाना संस्थागत क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर

फोन नं. 2709827 / 2710072 फैक्स नं. 91–0141–2710072

बोली प्रपत्र विक्रय **प्रकाशन की तिथि** से 23.06.2025 प्रातः 11:00 बजे तक
बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि दिनांक 23.06.2025 को अपराह्न 1:00 बजे तक
बोली प्रपत्र खोलने की तिथि दिनांक **23.06.2025** को सायं 3:00 बजे
बोली प्रपत्र शुल्क रू. 1000 / – बोली प्रतिभूति राशि रूपये 16000.00

बोली प्रारूप

(कार्यालय उपयोग हेतु आवश्यकतानुसार वाहन किराये पर उपलब्ध कराये जाने हेतु)

1. बोली प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व डाक का पता..
....
....टेलीफोन / मो0नं0..
2. जिसको सम्बोधित किया जाना है:– निदेशक, राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबन्ध संस्थान, जयपुर ।
3. सन्दर्भ बोली सूचना संख्या .... दिनांक ....
4. बोली प्रपत्र शुल्क राशि 1000 / – रसीद संख्या..................................दिनांक............................द्वारा जमा करा दी गई है।
5. बोली प्रतिभूति घोषणा।
6. वर्णित दरें दिनांक 01.07.2025 से 30.06.2026 की अवधि के लिए मान्य होगी।
7. फर्म अथवा अधिकृत व्यक्ति का आयकर विभाग द्वारा जारी पेन व उसकी छाया प्रति संलग्न है।
8. आपूर्ति की जाने वाली वाहन की अनुमानित दर, स्पेसिफिकेशन तथा वित्तीय दर मे अंकित कर दी गई है।
9. आदेश दिये जाने पर शीघ्र वाहन उपलब्ध करवाना होगा।
10. जहॉ आवश्यक हो, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम लागू होंगे इसके साथ ही राज्य राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम–2012 व नियम– 2013 के प्रावधान इस बोली पर प्रभावशील होगें।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

<u>बोलीदाता द्वारा घोषणा पत्र</u>

मेरे/हमारे द्वारा प्रदत्त बिड संख्या .... दिनांक .... के अन्तर्गत राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा के अन्तर्गत एतद् घोषणा की जाती है कि :–

1. यह कि राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबन्ध संस्थान (राईसेम) को प्रस्तुत उक्त बिड्स से सम्बन्धित समस्त प्रकार की व्यावसायिक तकनीक, आर्थिक एवं प्रबन्धकीय संसाधन आदि मेरे/हमारे पास उपलब्ध हैं।
2. यह कि मैं/ हम केन्द्र और राज्य सरकार अथवा स्थानीय निकाय द्वारा किसी भी प्रकार के देय करों की अदायगी के लिये बाध्य रहूँगा/रहेंगे।
3. यह कि मैं/हम किसी न्यायालय अथवा न्यायिक अधिकारी, आदाता द्वारा दिवालिया आदि घोषित नहीं हूँ/हैं और न ही उक्त कारणों से किसी प्रकार की कोई कार्यवाही विचाराधीन है।
4. यह कि विगत 3 वर्षों में मैं/हम और हमारे निदेशक व अधिकारियों में से कोई व्यावसायिक गतिविधि के कारण किसी आपराधिक गतिविधि में सजायाफ्ता नहीं है और ना ही किसी प्रकार के गलत तथ्यों व झूठी घोषणाओं के कारण निर्योग्य किये गये हैं।
5. यह कि मेरे/हमारे द्वारा बिड प्रपत्र ध्यानपूर्वक पढ लिया गया है और मैं/हम इसकी शर्तों/नियमों से पूर्णतया सहमत हूँ/हैं, जिसको मानने के प्रमाण स्वरूप समस्त प्रपत्रों पर हस्ताक्षर अंकित कर दिये हैं।
6. यह कि मैं/हम उक्त अधिनियम, नियम व बिड्स शर्तों से विपरीत कोई धारणा नहीं रखते हैं।

दिनांक : ....

स्थान : ....

हस्ताक्षर बोलीदाता

नाम...

पद...

पता...

....

मो0नं0...

राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबन्ध संस्थान (राईसेम)
10–बी, झालाना संस्थागत क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर
फोन नं. 2709827 / 2710072 फैक्स नं. 91–0141–2710072

कार्यालय उपयोग हेतु आवश्यकतानुसार वाहन किराये पर उपलब्ध कराये जाने हेतु शर्तें

टिप्पणीः– बोलीदाताओं को इन शर्तो को सावधानीपूर्वक पढना चाहिये तथा अपनी बोली भेजते समय इनकी पूर्णरूपेण पालना करनी चाहिये ।

1. बोलीदाता को बोली सूचना मे दिये गये निर्देशों के अनुसार उचित रूप से मोहरबन्द लिफाफे में बन्द करना चाहिये। तकनीकी बोली प्रपत्र लिफाफा–1 में तथा वित्तीय बोली प्रपत्र लिफाफा–2 में सील बंद प्रस्तुत करना होगा। तकनीकी बोली में सफल बोलीदाता का ही द्वितीय बोली लिफाफा वित्तीय बोली खोला जावेगा।
2. बोलीदाता के पास उपलब्ध वाहन एवं रख–रखाव हेतु परिवहन विभाग से रजिस्ट्रेशन आवश्यक होगा। पंजीयन प्रमाण–पत्र उपलब्ध नहीं होने की दशा में बोली निरस्त की जा सकती है।
3. वाहन से सम्बन्धित राज्य सरकार के नियमानुसार समस्त खर्चे बोलीदाता द्वारा वहन किये जावेंगे तथा वाहन नवीनतम मॉडल का होगा, जो सही एवं चालू स्थिति में होना चाहिए।
4. फर्म आदि के गठन मे किसी भी परिवर्तन की सूचना राइसेम को लिखित मे बोलीदाता द्वारा दी जावेगी
5. जीएसटी पंजीयन एवं शोधन प्रमाण–पत्र (Clearance Certificate) –कोई बोलीदाता जहॉ उसका व्यवसाय स्थित है, यदि राज्य मे प्रचलित जीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है तो वह बोली नहीं देगा। जीएसटी पंजीयन संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए तथा सम्बंधित सर्किल के वाणिज्यिक कर अधिकारी से जीएसटी शोधन गत तीन माह का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाएगा तथा इसके बिना बोली को रद्द कर दिया जाएगा।
6. बोली प्रारूप स्याही से भरा जाएगा या टंकण से भरा जाएगा। पेंसिल से भरी गयी किसी भी बोली पर विचार नहीं किया जाएगा। बोलीदाता बोली के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त मे बोली की समस्त शर्तो को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।
7. **दर निर्धारित वित्तीय प्रपत्र मे अंकित की जाएगी।** इसमें कोई त्रुटियां (Errors) एवं/या उपरिलेखन नहीं होना चाहिए। यदि कोई शुद्धियां करनी हों तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं दिनांक सहित उन पर लघु हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। दरों मे जीएसटी राशि को पृथक से दिखाना चाहिए ।
8. बोलीदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौपेगा या उप–भाडे (सब लैट) पर नहीं देगा।
9. बयाना राशि (अर्नेस्ट मनी) अनुमानित बिड लागत का 2 प्रतिशत होगी, जो नियम 42, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के अनुसार देय होगी।
10. वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने की स्थिति में वाहन चालक के चोट लगने व अन्य प्रकार की असामयिक मृत्यु होने की स्थिति में वाहन चालक के समस्त प्रकार के दायित्वों के भुगतान बोलीदाता द्वारा वहन किये जावेंगे। वाहन चालक के पास परिवहन विभाग द्वारा जारी लाइसेन्स होना आवश्यक है। जो वाहन राइसेम को परिचालन हेतु उपलब्ध कराया जावेगा उसका बीमा होना अनिवार्य है। केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के विभागों तथा उपक्रमों को कोई बयाना राशि प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।
11. **(अ) करार एवं प्रतिभूति निक्षेप (Agreement and Performance security)**
    1. सफल बोलीदाता को आदेश प्राप्ति की दिनांक से 7 दिवस की अवधि मे प्रारूप 17 में एक करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा जिन वाहनों के लिये बोली स्वीकार की गई है,

उनका बोली मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी। यह प्रतिभूति राशि अनुबंध के साथ ही जमा करानी होगी ।

2. प्रतिभूति राशि पर राइसेम द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जायेगा।
3. प्रतिभूति राशि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 75 के अनुसार देय होगी तथा संस्था में नकद/बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/एफ.डी.आर आदि के रूप में जमा करानी होगी।

(2) **(ब) प्रतिभूति निक्षेप का समपहरणः– प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत किया जायेगा :–**

(क) जब बोली की शर्तों का उल्लघंन किया गया हो।

(ख) जब बोलीदाता सम्पूर्ण सप्लाई सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

(ग) प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जायेगा। इस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

(3) नियमानुसार करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने का व्यय बोलीदाता द्वारा वहन किया जायेगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्पशुदा प्रतिपड़त निशुल्क प्रस्तुत की जायेगी।

12. <u>भुगतानः–</u>

I. वाहन की सप्लाई के लिए अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा।

II. जब तक पक्षकारों के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाए, सामान की सुपुर्दगी के लिये भुगतान बोलीदाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्रारूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों तथा राजस्थान लोक उपायन में पारदर्शिता नियम, 2013 के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जायेगा तथा सभी प्रेषण प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किये जायेंगे।

III. विवादास्पद मदों के संबंध में राशि के 10 से 25 प्रतिशत तक को रोका जायेगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान किया जायेगा।

13. समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार (सरकार या ठेकेदार) द्वारा राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबन्ध संस्थान (राइसेम) में पेश की जायेगी, अन्यत्र पेश नहीं की जायेगी ।

14. राज. लोक उपापन में पारदर्शिता नियम–2013 के उपनियम–29 (ज) के अनुसार दर संविदा के अधीन कीमतें, कीमत गिरने के खण्ड के अध्यधीन होंगी। कीमत गिरने का खण्ड दर संविदाओं में कीमत सुरक्षा क्रियाविधि है और यह उपबंध करता है कि यदि दर संविदा धारक, दर संविदा के चालू रहने के दौरान किसी भी समय राज्य में किसी को दर संविदा कीमत से कम कीमत पर सामान माल, संकर्मों या सेवाएं देने के लिए उसकी कीमत कोट करता/कम करता है तो उस दर संविदा के अधीन उपापन की विषयवस्तु के समस्त परिदान के लिए दर संविदा कीमत, कीमत कम करने या कोट करने की तारीख से स्वतः कम हो जायेगी और दर संविदा तद्नुसार संशोधित की जायेगी। समानान्तर दर संविदा धारण करने वाली फर्मों को भी कम की हुई कीमत अधिसूचित करके अपनी कीमत कम करने का अवसर देते हुए पुनरीक्षित कीमत की उनकी स्वीकारोक्ति से सूचित करने के लिए पन्द्रह दिन का समय दिया जायेगा। इसी प्रकार यदि कोई समानान्तर दर संविदा धारक फर्म, दर संविदा के चालू रहने के दौरान अपनी कीमत कम करती है तो उसकी कम की गयी कीमत अन्य समानान्तर दर संविदा धारक फर्मों और मूल दर संविदा धारक फर्म को अपनी कीमतें तत्समान कम करने के लिए संसूचित की जायेगी। यदि कोई दर संविदा धारक फर्म कीमत कम करने से सहमत नहीं होती है तो उनके साथ आगे और संव्यवहार नहीं किया जायेगा।

15. सभी अथवा किसी बिड को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार उपापन संस्था का होगा।
16. सफल बोलीदाता सेवा में विलम्ब अथवा अन्य कोई दोष करने पर संस्था को हुई हानि की क्षतिपूर्ति करेगा। सेवादोष करने पर संस्था को नियमानुसार शास्ति लगाने का पूर्ण अधिकार होगा, जिसकी वसूली संवेदक को देय राशि से की जावेगी।
17. बोली शर्त रहित एवं नियमानुसार हस्ताक्षर युक्त होनी चाहिए, अन्यथा विचार नहीं किया जावेगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

बोलीदाता द्वारा घोषणा

मैं/हम/घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिन वाहनों के लिए बोली दी है उनका/उनके/मैं प्राधिकृत सेवा प्रदाता हूँ।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी प्रकार की अन्य नियमानुसार कार्यवाई जो की जा सकती है पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी अमानत राशि को पूर्ण रूप से समपहृत कर लिया जाएगा तथा बोली को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, को रद्द कर लिया जाएगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

(लिफाफा–1)

राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबन्ध संस्थान (राइसेम) में किराये पर आवश्यकतानुसार वाहन उपलब्ध करवाये जाने हेतु

:: तकनीकी बोली प्रपत्र ::

मूल्य रू. 1000/– (निदेशक, राइसेम के नाम से देय)।

अमानत राशि रूपये 16,000/–

विड का अनुमानित मूल्य : 8 लाख रूपये

बोली प्रपत्र जमा कराने की अंतिम तिथि : 23.06.2025 दोपहर 1:00 बजे तक

बोली खोलने की दिनांक : 23.06.2025 सांय 3:00 बजे

1.	बोलीदाता का नाम	
2.	बोलीदाता का स्थानीय पता (मय टेलीफोन/मोबाईल नम्बर)	
3.	बोलीदाता का स्थाई पता (मय टेलीफोन/मोबाईल नम्बर) साक्ष्य के लिए राशन कार्ड/मतदाता परिचय पत्र/पानी/टेलीफोन/बिजली के बिल की सत्यापित प्रति)	
4.	बोलीदाता वाहन उपलब्ध करवाने का अनुबन्ध प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा जारी प्रमाण प्रति संलग्न करें। (प्रमाण पत्रों की प्रति संलग्न करें)	
5.	बोलीदाता /फर्म का पैन नम्बर (फोटो प्रति संलग्न करें)	
6.	बोलीदाता/फर्म का जीएसटी नम्बर, अंतिम तिमाही की रिटर्न (फोटो प्रति संलग्न करें)	
7.	वाहन चालक का लाइसेंस प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें। (फोटो प्रति संलग्न करें)	
8	अन्य प्रमाण पत्र (फोटो प्रति संलग्न करें)	
9.	गत तीन वर्षों के वार्षिक लेखो की अंकेक्षित प्रतिलिपि (वर्ष 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24)	
10.	गत तीन वर्षों के आयकर रिटर्न की प्रतिलिपि संलग्न करें। (वर्ष 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24)	
11.	गत दो वर्षों का बैंकर्स का विवरण (दिनांक 31.03.2025 तक) संलग्न करें	
12.	बोली प्रपत्र हेतु रसीद संख्या एवं दिनांक	रसीद संख्या .... दिनांक ....
13.	बोली प्रतिभूति राशि रूपये 16,000/– का विवरण	बैंक ड्राफ्ट/बैंक गारण्टी/बैंकर्स चैक संख्या .... दिनांक .... बैंक का नाम .... राशि ....

नोट :– उपरोक्तानुसार संलग्न सभी पत्रादि की फोटोप्रतियां स्वप्रमाणित होना आवश्यक है।

राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबन्ध संस्थान (राइसेम) में किराये पर आवश्यकतानुसार वाहन उपलब्ध करवाये जाने हेतु

:: वित्तीय बोली प्रपत्र ::

खुली बोली सूचना ....

इस कार्यालय के लिए दिनांक 01.07.2025 से 30.06.2026 की अवधि हेतु निम्नलिखित वाहन आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराने की दरें:–

क्र.सं.	उपलब्ध करवाये जाने वाले वाहन का विवरण	दर (प्रति किलोमीटर जीएसटी सहित)	विशेष विवरण
1.	कार (इन्डिगो, इन्डिका, स्विफ्ट डिजायर एवं अन्य समकक्ष वाहन)		
2.	इनोवा एवं इसके समकक्ष अन्य वाहन		
3.	बस 25 सीटर एवं इसके समकक्ष वाहन		
4.	बस 16 सीटर एवं इसके समकक्ष वाहन		
5.	बस 30 सीटर एवं इसके समकक्ष वाहन		
6.	बस 45 सीटर एवं इसके समकक्ष वाहन		

नोट :– निविदादाता द्वारा दरें समस्त करों सहित प्रस्तुत की जाएगी।